भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1481**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए
निर्यात और आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु कदम

1481 **श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः**

क्या ***वाणिज्य और उद्योग*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने निर्यात और आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु कदम उठाए हैं; और
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

)क (एवं (ख) सरकार ने निर्यात और आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनुपालन बोझ को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और व्यापार को सुगम बनाने संबंधी सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ प्रमुख उपायों में शामिल हैं:

i. **सेवाओं का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण:** सरकारी प्लेटफॉर्मों पर निर्यात-आयात से संबंधित सेवाओं का चरणबद्ध तरीके से डिजिटलीकरण किया गया है। आइईसी, प्राधिकार पत्र, स्क्रिप्स और प्रमाणपत्र जारी करने सहित डीजीएफटी की कई सेवाएं, कागजरहित, संपर्क रहित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। सीमा शुल्क विभाग ने भौतिक इंटरफेस और प्रसंस्करण समय को कम करते हुए बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल और सहायक दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और प्रसंस्करण की सुविधा शुरू की है।

ii. **एक्जिम व्यापार के लिए एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम**: डाटा के निर्बाध आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने और व्यापार संबंधी दस्तावेज़ों की पुनः प्रस्तुति को कम करने के लिए सरकारी प्रणालियों को एकीकृत किया गया है। डीजीएफटी प्रणालियाँ सीमा शुल्क डाटा के लिए आइसगेट, विदेशी विनिमय के लिए बैंको और अन्य सरकारी डेटा बेस के साथ एकीकृत हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन और शीघ्र प्रक्रिया संभव हो पाती है।

iii. **एकल खिड़की और एकीकृत विनियामक निकासी:** सीबीआइसी ने, भागीदार सरकारी एजेंसियों (पीजीए) से संबंधित विनियामक मंजूरी के लिए एकल डिजिटल टचपॉइंट के रूप में एकीकृत इंटरफेस के माध्यम से आवेदनों और दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति, ऑनलाइन

भुगतान, वास्तविक समय की स्थिति की निगरानी और अनुमोदन/एनओसी के डिजिटल निर्गमन को सक्षम करने के लिए स्विफ्ट 2.0 (सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फेसिलिटेटिंग ट्रेड) को शुरू किया है।

iv. **ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म:** निर्यातकों, विशेषकर एमएसएमई के लिए एक व्यापक व्यापार सूचना और सुविधा मंच के रूप में ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। यह मंच निर्यातकों को एक ही डिजिटल मंच के माध्यम से मदद करते हुए बाज़ार की जानकारी, देश और उत्पाद-विशिष्ट अंतर्दृष्टि, प्रशुल्क और एफटीए से संबंधित जानकारी, क्रेता की खोज, व्यापार-कार्यक्रमों का विवरण, निर्यात से संबंधित सेवाओं तक पहुंच और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करता है।

v. **डिजिटल प्रमाणन और कागजरहित व्यापार दस्तावेज़ीकरण:** उद्गम का ई-प्रमाणपत्र (ईसीओओ) 2.0 प्रणाली, प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने और कागज रहित व्यापार को बढ़ावा देते हुए अधिमान्य और गैर-अधिमान्य प्रमाणपत्रों के ऑनलाइन निर्गमन और सत्यापन को सक्षम बनाती है।

vi. **स्वचालन और जोखिम-आधारित कार्गो निकासी:** सीमा शुल्क विभाग ने भौतिक हस्तक्षेप को कम करने और तेजी से एवं अधिक कुशल कार्गो निकासी की सुविधा के लिए जोखिम-आधारित मूल्यांकन तथा खेपों की जांच और रिमोट क्लीयरेंस तंत्र सहित सिस्टम-संचालित और जोखिम-आधारित प्रक्रियाओं को लागू किया है।

vii. **ऑनलाइन शिकायत निवारण और हितधारक सहायता:** समयबद्ध शिकायत निवारण और हितधारकों की सहायता के लिए जनसुनवाई, ऑनलाइन हेल्पडेस्क और सिस्टम-आधारित टिकेटिंग प्रणाली जैसे कई तंत्र अपनाए गए हैं, जिनसे सेवाओं की पारदर्शिता और पहुंच में सुधार हुआ है।

viii. **ई-कॉमर्स निर्यात की सुविधा:** ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, वाणिज्यिक निर्यात खेपों पर लागू मूल्य सीमा को हटाने और कूरियर संरचना के तहत रिटर्न-टू-ओरिजिन (आरटीओ) हैंडलिंग और पुन: आयात प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने सहित कई सुधार किए गए हैं।

ix. **प्रौद्योगिकी-सक्षम सीमा शुल्क निकासी:** सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में भौतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम रिमोट क्लीयरेंस तंत्र शुरू किए गए हैं। इनमें भौतिक बोर्डिंग के बिना जहाजों की दूरस्थ सीमा शुल्क निकासी और पत्तन आगमन और प्रस्थान औपचारिकताओं की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप तेजी से कार्य पूरा हुआ है और पत्तन पर होने वाली देरी में कमी आई है।

x. **व्यापार आसूचना और विश्लेषण (टीआइए) पोर्टल:** वाणिज्य विभाग ने 18 नवंबर 2025 को ट्रेड इंटेलिजेन्स एंड एनेलेटिक्स (टीआइए) पोर्टल लॉन्च किया है, जो एक ही प्रणाली में वैश्विक और द्विपक्षीय व्यापार डेटाबेस को समेकित करने वाला वन-स्टॉप, ओपन-सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह पुराने पोर्टलों (निगरानी डैशबोर्ड, निर्यात पोर्टल, ट्रेडस्टैट पोर्टल) को स्वचालित डेटा निष्कर्षण, 28 से अधिक डैशबोर्ड में 270 से अधिक इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन और एफटीए/गैर-एफटीए भागीदारों को कवर करने वाले व्यापार निगरानी टॉवर, क्रिटिकल मिनरल्स डैशबोर्ड और सर्ज मॉनिटरिंग टूल जैसे साधनों से प्रतिस्थापित करता है। इसका उद्देश्य आयातकों, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित स्टार्टअप्स सहित व्यापार संबंधी डेटा तक अधिक सरल और सुगम पहुंच प्रदान करना है, ताकि वे बेहतर निर्णय ले सकें और मुक्त व्यापार समझौतों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।

xi. **सीबीआइसी डिजिटल व्यापार सुविधा और प्रणाली एकीकरण पहल:** सीबीआइसी ने आइएफएससी कोड पंजीकरण के लिए प्रणाली-आधारित स्वचालित अनुमोदन की सुविधा शुरू की है, इसके तहत, यदि किसी आइईसी के लिए समान बैंक खाता/आइएफएससी संयोजन किसी एक स्थान पर पहले ही स्वीकृत हो चुका है, तो अन्य स्थानों पर पोर्ट अधिकारी द्वारा मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती, इससे निर्यात प्रोत्साहनों के शीघ्र क्रेडिट की प्रक्रिया को आसान और तेज़ बनाया गया है। सीबीआइसी ने आइसगेट-एलपीएमएस एकीकरण की भी शुरुआत की है, जिसके माध्यम से बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, आउट ऑफ चार्ज तथा लैट एक्सपोर्ट ऑर्डर से संबंधित डेटा का वास्तविक समय में बाइडायरेक्शनल डेटा एक्सचेंज संभव हुआ है, इस एकीकरण के माध्यम से प्रक्रियाओं का स्वचालन किया गया है तथा स्लॉट बुकिंग से लेकर गेट-आउट तक माल की ट्रैकिंग को अधिक प्रभावी बनाया गया है, इससे समन्वित सीमा प्रबंधन और जोखिम-आधारित लक्ष्य निर्धारण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।
